संख्याः– 3057 / 11–5–2010–500(21) / 2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेष शासन।

सेवा में,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2010

विषय : नोएडा/ ग्रेटर नोएडा/ यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की अपंजीकृत सम्पत्तियों के पंजीकरण की समीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग राज्य के राजस्व अर्जन के प्रमुख स्रोतों में से एक है तथा विभाग का राजस्व अर्जन मुख्यतया अपंजीकृत विलेखों के पंजीयन पर आधारित है । स्थावर सम्पत्ति के विलेखों के पंजीयन से जहॉ एक ओर शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ सम्बन्धित पक्षकार को वैध टाइटिल प्राप्त होता है ।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 13917 सन् 2009 सूरज लैम्प एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य व अन्य में पारित निर्णय द्वारा अवैध अन्तरणों को रोकने के सम्बन्ध में अपेक्षित उपाय प्रभावी किये जाने की अपेक्षा की गई है।

3. अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06 सन् 1976) के अधीन गठित राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 01 सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा आवंटित परन्तु अपंजीकृत सम्पत्तियों के पंजीकरण की समीक्षा आप प्रतिमाह करना सुनिश्चित करें, जिससे अवैध अन्तरणों एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रभावी नियन्त्रण किया जा सके ।

4. आपसे यह भी अपेक्षा है कि कृपया समीक्षा के उपरान्त संलग्न प्रारूप पर इसकी सूचना प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

5. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्याः 3057(1–2)/11–5–2010 व दिनांकः 15 जून, 2010।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी, ग्रेटर नोएडा।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
4. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर लखनऊ।

ह0अस्पष्ट
(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

प्रारूप

क्रम स0	संस्था का नाम	01 अप्रैल 2010 को आवंटित किन्तु अपंजीकृत सम्पत्तियों की संख्या	माह में आवंटित सम्पत्तियों की संख्या	कुल आवंटित परन्तु अपंजीकृत सम्पत्तियों की संख्या	अपंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प राजस्व	माह में पंजीकृत करायी गयी सम्पत्तियों की संख्या	पंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प राजस्व	अवषेश अपंजीकृत सम्पत्तियों की संख्या	अवशेष अपंजीकृत सम्पत्तियों में निहित स्टाम्प शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नोएडा								
2	ग्रेटर नोएडा								
3	यमुना एक्सप्रेस वे								
4	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड								